

No.: CSL/BSE/NSE/CSE/18-19/

Date: -10.08.2018

1) The Secretary

BSE Limited

1st Floor, New Trading Ring,

(BY BSE LISTING CENTRE)

Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort, Mumbai-400001.

Stock Code: 532339

2) The Secretary

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor,

Plot No. C/1, G Block,

(BY NSE NEAPS)

Bandra (East), Mumbai-400051.

Stock Code: COMPUSOFT

3) The Manager,

The Calcutta Stock Exchange Limited

7, Lyons Range, Kolkata: 700001

(BY E-MAIL)

Stock Code: 13335

Sub: Submission of newspaper notice for transfer of equity shares to IEPF

In accordance with Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (as amended) and pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of notices published by the Company in Mint (English) and Nafa Nuksan (Hindi) Newspaper on 10th August, 2018 for the attention of shareholders of the Company with respect to transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund Authority.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Sincerely,

For Compucom Software Limited


(Swati Jain)

Company Secretary & Compliance Officer

mint

COMPUCOM™

SOFTWARE LIMITED
We make IT happen™

Regd. & Corp. Office: IT 14-15, EPIP,
Sitapura, Jaipur-302 022(India)

CIN : L72200RJ1995PLC009798

Tel. 91-141-2770131, 5115901-02

Fax: 91-141-2770335, 5115905

Website: www.compucom.co.in

Email: cs@compucom.co.in

NOTICE

(For the attention of equity shareholders of the Company)

**Sub: Transfer of equity shares of the
company to Investor Education and
Protection Fund (IEPF) Authority**

This Notice is published pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013, the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with the relevant circulars and amendments thereto (IEPF Rules), that the Company has sent intimation to the shareholders concerned regarding transfer of their shares to the Demat Account of the IEPF Authority in accordance with the IEPF Rules, in case they do not encash any of their dividend(s), which remains unpaid/unclaimed for last seven (7) consecutive years, by the next due date of transfer i.e. 13th November, 2018. The details of such shareholders including their folio number or DP and Client ID and number of shares due for transfer are also available on the Investors section of the Company's website at www.compucom.co.in and on Stock Exchanges' website at www.nseindia.com, www.cse-india.com and www.bseindia.com. The concerned shareholders have been advised to make their claim for the unclaimed dividends in respect of the shares held by them by writing to the Company or the Company's Registrars & Share Transfer Agent, MCS Share Transfer Agent Limited, F-65 1st Floor Okhla Industrial Area, Phase-I New Delhi-110020, India, Phone No.: +91-11-41406149, Fax: +91-11-41709881, Email: admin@mcsregistrars.com. In case shareholders wish to claim the shares/dividend after its transfer to IEPF, a separate application has to be made to the IEPF Authority, in form IEPF-5, as prescribed under IEPF Rules and the same is available along with all details at the IEPF website: www.iepf.gov.in.

In case the company does not receive any communication from concerned shareholders by November 13, 2018 or such other date as may be extended, the company shall, with a view to complying with the requirements set out in the rules dematerialize and transfer the shares to IEPF Authority by way of corporate action by the due date as per procedure stipulated in the rules.

Place: Jaipur

Date: 09.08.2018

For Compucom Software Limited

sd/-

(Swati Jain)

Company Secretary & Compliance Officer

18.39	-0.2
16.74	-0.4
17.30	0.87
18.07	-0.43
15.26	-0.49
14.71	1.81
2.45	+0.31
12.46	-0.17
14.29	-0.67

0 बजे तक के हैं

सहयोग को आज अपील की। गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में 18 से 35 आयु वर्ग के 65 प्रतिशत लोगों की मौत होती है। इन सभी की जान बचाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा, "यह विधेयक एक साल से राज्य सभा में लंबित है। इसे पारित कराने में आप सहयोग करिए।" उन्होंने कहा कि 786 ब्लैक स्पॉट्स (सड़कों पर गड्डों) की पहचान की गई है। उन्हें दुरस्त करने के लिए राशि आवंटित की गई है। गडकरी ने कहा कि कुछ सड़कें राज्य सरकारों के हैं, जबकि कुछ जिला सड़कें हैं। इससे जुड़ी समस्या का समाधान करने के लिए संबद्ध

मंत्री ने वाहनों के पंजीकरण का अधिकार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से लेकर डीलरों को दिए जाने के विषय पर कहा कि एक नयी गाड़ी पर कर लगाना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। कर बढ़ाने का भी पूरा अधिकार राज्य सरकारों का है। उन्होंने कहा, "हम राज्य सरकारों का कोई अधिकार नहीं लेंगे।" गडकरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान सड़कों पर गड्डों के चलते 3597 लोगों की मौतें हुईं। वर्ष 2015 में यह आंकड़ा 3416 था, जबकि 2016 में 2324 लोग इन दुर्घटनाओं में मारे गए।

- पीटीआई

बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड

(पूर्व में बीएफएल डबलपर्सन के रूप में जानते हैं)

पंजीकृत कार्यालय: 1, साराजगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006, फोन: 9214018877

E: bffdevelopers@gmail.com, W: www.bffin.com, C IN: L45201R1J1995PLC010646

30 जून 2018 को समाप्त तिमाही के लिए गैर अकेलित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2018	समाप्त वार्षिक वर्ष 31.03.2018	समाप्त तिमाही 30.06.2017
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/वा असाधारण व्ययों से पहले)	13.58	-85.88	39.03
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/वा असाधारण व्ययों से बाद)	28.51	8.80	32.61
अवधि के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिए लाभ/हानि समता अंश पूंजी रिजर्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलना पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त) आय प्रति शेयर (₹. 10/- प्रति का)	28.51	3.29	32.61
(संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए)	1020.35	1020.35	510.35
1. मूल	0.28	0.04	0.64
2. तरल			

टिप्पणी: इन तीनों विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्देश्यों के लिए) विधिवत, 2015 के विधिवतन 33 के अंतर्गत एनएसईएन के पास दर्जित की गई 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही के गैर अकेलित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही गैर अकेलित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बायबे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.bffin.com पर उपलब्ध है।

खाते: बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड (पूर्व में बीएफएल डबलपर्सन के रूप में जानते हैं) ए. महेंद्र कुमार बैंड (प्रबन्ध निदेशक) DIN- 00009828

COMPUCOM आईटी: 14-15 डेवीआईपी, सीतापुर, जयपुर-302022 (इण्डिया)
फोन: +91-141-2770131, 5115901-02, फैक्स: +91-141-2770355, 5115905
ई-मेल: ce@compucom.co.in, वेबसाइट: www.compucom.co.in
CIN: L72200RJ1995PLC009798

सूचना (कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए)
विषय: निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण का कंपनी को इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह नोटिस कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6), निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थापना और धन वापसी) नियम 2016 के अनुसार प्रासंगिक परिणामों और संशोधन (आईईपीएफ नियम) को साब पक्ष नगर है) के अनुसार प्रकाशित किया गया है, कि कंपनी ने आईईपीएफ नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के ड्राफ्ट खतों में अपने शेयरों को हस्तांतरण की संंध में संबंधित शेयरधारकों को सूचना भेजी है, यदि वे अपने किसी भी स्तोभाषा को रद्द नहीं करते हैं, जो कि अवैतनिक/हस्तांतरण की आपत्ती निवृत्त तारीख सारि 13 नवम्बर, 2018 तक जो कि पिछले सात (7) वर्षों के लिए दावा नहीं किया गया (एसे उपरिक्त शेयरधारकों का विवरण उनके फॉलोअर्स नंबर या डीपी और क्लाइंट आईडी और हस्तांतरण के लिए देव शेयरों सहित का और कंपनी की वेबसाइट www.compucom.co.in कि निवेशक अनुभाग पर और वहां के एक्सेसवॉर्क की वेबसाइट www.nseindia.com, www.cse-india.com, www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। संबंधित शेयरधारकों को उनके द्वारा आयोजित शेयरों के संंध में दावा न किए गए स्तोभाषा के लिए दावा करने की सलाह दी जाती है। जिसके लिए शेयरधारक कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर द्राफ्टर/ रजिस्ट्रार, एमसीएस एंडर द्राफ्टर एंडर लिमिटेड, एक-65, प्रथम मंजिल, अखिल भारतीय भवन, फ्लोर-1, नई दिल्ली-110020, भारत, फोन नंबर: +91-11-41406149, फैक्स: +91-11-41709881 ई-मेल: admin@mcsregistrars.com को लिखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आईईपीएफ के हस्तांतरण को बाद में शेयरधारक/शेयर/स्वभाषा का दावा करना चाहते हैं, यह आईईपीएफ प्राधिकरण को लिखित रूप में, फार्म आईईपीएफ-5 के निर्धारित रूप में अलग से आवेदन आईईपीएफ नियम के तहत कर सकते हैं। जिससे विस्तृत संपूर्ण जानकारी आईईपीएफ की वेबसाइट www.iejpf.gov.in पर उपलब्ध है।

यदि कंपनी की 13 नवम्बर, 2018 तक संबंधित शेयरधारकों से कोई संचार नहीं मिलता है या ऐसी अन्य तारीख को बताया जाता है, तो कंपनी निम्नो में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देव विश्व में क्लॉर्डेट कारवाई के माध्यम से शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को इक्विटी रजिस्ट्रार और द्राफ्टर कर दिया जावेगा।
खाते: जयपुर
दिनांक: 09.08.2018
खाते कम्प्यूटरमै साफ्टवेयर लिमिटेड (कंपनी के संचित एवं अनुपालन अधिकारी)

प्रभात नगर विकास न्यास,
राजस्थान आवासन मण्डल : भील
C-289/290 R.K. COLONY, BHILWARA PH. 01482-220312 E-mail-rebhhlwara@gmail.com
क्रमांक: 1285 जाहिर आम सूचना दिनांक :- 08
मूल आर्गटी की भण्डार प्रसार अधिनियम पुन की वसु साधन अधिनियम को 'पंजीकरण योजना' 1978 के अन्तर्गत 23679 के द्वारा HIG के आवास पुनू कायदे एवं पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की शाली नगर योजना I-A-4 का आदेश किया गया था जिसका अन्ततः पर क्रमांक 2728-50 दिनांक 06.02.1983 का संशोधन जारी होने पर अधिनियम का भौतिक कलन दिनांक 04.03.1986 को पूर्ण किया गया।
इसके पश्चात एक आवास पुनू कायदे एवं पंजीकरण अधिनियम पुन की वसु साधन अधिनियम को पुनू अधिनियम पर क्रमांक 4961 दिनांक 02.03.2012 के द्वारा भी जलित कुमरा आवासन पुन की भण्डार प्रसार अधिनियम किया गया।
अन्ततः प्रमाण पर भी जलित कुमरा आवासन पुन की भण्डार प्रसार अधिनियम के परम क्रमांक 791 दिनांक को जारी किया गया। आवास के पंजीकरण दिनांक 27.09.2013 को भी जलित कुमरा आवासन पुन की अधिनियम के परम में जारी किये को कि उप पंजीकरण कायदे एवं पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की शाली नगर योजना I-C-1 का आदेश किया गया था जिसका अन्ततः पर क्रमांक 5204 दिनांक 27.06.1983 का संशोधन जारी होने पर अधिनियम का भौतिक कलन दिनांक 05.10.1983 को पूर्ण किया गया।
अन्ततः एक अन्ततः प्रमाण पर सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. स्वामी के परम क्रमांक 1855 दिनांक को जारी किया गया। आवास के पंजीकरण दिनांक 03.12.2004 को सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. में जारी किये को कि उप पंजीकरण कायदे एवं पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की शाली नगर योजना I-C-1 का आदेश किया गया था जिसका अन्ततः पर क्रमांक 5204 दिनांक 27.06.1983 का संशोधन जारी होने पर अधिनियम का भौतिक कलन दिनांक 05.10.1983 को पूर्ण किया गया।
इसके पश्चात एक आवास पुनू कायदे एवं पंजीकरण अधिनियम पुन की वसु साधन अधिनियम को पुनू अधिनियम पर क्रमांक 4961 दिनांक 02.03.2012 के द्वारा भी जलित कुमरा आवासन पुन की भण्डार प्रसार अधिनियम किया गया।
अन्ततः प्रमाण पर सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. स्वामी के परम क्रमांक 1855 दिनांक को जारी किया गया। आवास के पंजीकरण दिनांक 03.12.2004 को सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. में जारी किये को कि उप पंजीकरण कायदे एवं पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की शाली नगर योजना I-C-1 का आदेश किया गया था जिसका अन्ततः पर क्रमांक 5204 दिनांक 27.06.1983 का संशोधन जारी होने पर अधिनियम का भौतिक कलन दिनांक 05.10.1983 को पूर्ण किया गया।
इसके पश्चात एक आवास पुनू कायदे एवं पंजीकरण अधिनियम पुन की वसु साधन अधिनियम को पुनू अधिनियम पर क्रमांक 4961 दिनांक 02.03.2012 के द्वारा भी जलित कुमरा आवासन पुन की भण्डार प्रसार अधिनियम किया गया।
अन्ततः प्रमाण पर सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. स्वामी के परम क्रमांक 1855 दिनांक को जारी किया गया। आवास के पंजीकरण दिनांक 03.12.2004 को सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. में जारी किये को कि उप पंजीकरण कायदे एवं पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की शाली नगर योजना I-C-1 का आदेश किया गया था जिसका अन्ततः पर क्रमांक 5204 दिनांक 27.06.1983 का संशोधन जारी होने पर अधिनियम का भौतिक कलन दिनांक 05.10.1983 को पूर्ण किया गया।
इसके पश्चात एक आवास पुनू कायदे एवं पंजीकरण अधिनियम पुन की वसु साधन अधिनियम को पुनू अधिनियम पर क्रमांक 4961 दिनांक 02.03.2012 के द्वारा भी जलित कुमरा आवासन पुन की भण्डार प्रसार अधिनियम किया गया।
अन्ततः प्रमाण पर सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. स्वामी के परम क्रमांक 1855 दिनांक को जारी किया गया। आवास के पंजीकरण दिनांक 03.12.2004 को सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. में जारी किये को कि उप पंजीकरण कायदे एवं पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की शाली नगर योजना I-C-1 का आदेश किया गया था जिसका अन्ततः पर क्रमांक 5204 दिनांक 27.06.1983 का संशोधन जारी होने पर अधिनियम का भौतिक कलन दिनांक 05.10.1983 को पूर्ण किया गया।
इसके पश्चात एक आवास पुनू कायदे एवं पंजीकरण अधिनियम पुन की वसु साधन अधिनियम को पुनू अधिनियम पर क्रमांक 4961 दिनांक 02.03.2012 के द्वारा भी जलित कुमरा आवासन पुन की भण्डार प्रसार अधिनियम किया गया।
अन्ततः प्रमाण पर सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. स्वामी के परम क्रमांक 1855 दिनांक को जारी किया गया। आवास के पंजीकरण दिनांक 03.12.2004 को सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. में जारी किये को कि उप पंजीकरण कायदे एवं पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की शाली नगर योजना I-C-1 का आदेश किया गया था जिसका अन्ततः पर क्रमांक 5204 दिनांक 27.06.1983 का संशोधन जारी होने पर अधिनियम का भौतिक कलन दिनांक 05.10.1983 को पूर्ण किया गया।
इसके पश्चात एक आवास पुनू कायदे एवं पंजीकरण अधिनियम पुन की वसु साधन अधिनियम को पुनू अधिनियम पर क्रमांक 4961 दिनांक 02.03.2012 के द्वारा भी जलित कुमरा आवासन पुन की भण्डार प्रसार अधिनियम किया गया।
अन्ततः प्रमाण पर सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. स्वामी के परम क्रमांक 1855 दिनांक को जारी किया गया। आवास के पंजीकरण दिनांक 03.12.2004 को सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. में जारी किये को कि उप पंजीकरण कायदे एवं पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की शाली नगर योजना I-C-1 का आदेश किया गया था जिसका अन्ततः पर क्रमांक 5204 दिनांक 27.06.1983 का संशोधन जारी होने पर अधिनियम का भौतिक कलन दिनांक 05.10.1983 को पूर्ण किया गया।

प्रभात नगर विकास न्यास,
राजस्थान आवासन मण्डल : भील
C-289/290 R.K. COLONY, BHILWARA PH. 01482-220312 E-mail-rebhhlwara@gmail.com
क्रमांक: 1288 जाहिर आम सूचना दिनांक :- 08
मूल आर्गटी की सरकारी पुन की पुन. के. स्वामी के 'आवास पंजीकरण योजना' 1978 के अन्तर्गत 21785 के द्वारा MIG-B के आवास पुनू कायदे एवं पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की शाली नगर योजना I-C-1 का आदेश किया गया था जिसका अन्ततः पर क्रमांक 5204 दिनांक 27.06.1983 का संशोधन जारी होने पर अधिनियम का भौतिक कलन दिनांक 05.10.1983 को पूर्ण किया गया।
अन्ततः एक अन्ततः प्रमाण पर सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. स्वामी के परम क्रमांक 1855 दिनांक को जारी किया गया। आवास के पंजीकरण दिनांक 03.12.2004 को सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. में जारी किये को कि उप पंजीकरण कायदे एवं पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की शाली नगर योजना I-C-1 का आदेश किया गया था जिसका अन्ततः पर क्रमांक 5204 दिनांक 27.06.1983 का संशोधन जारी होने पर अधिनियम का भौतिक कलन दिनांक 05.10.1983 को पूर्ण किया गया।
इसके पश्चात एक आवास पुनू कायदे एवं पंजीकरण अधिनियम पुन की वसु साधन अधिनियम को पुनू अधिनियम पर क्रमांक 4961 दिनांक 02.03.2012 के द्वारा भी जलित कुमरा आवासन पुन की भण्डार प्रसार अधिनियम किया गया।
अन्ततः प्रमाण पर सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. स्वामी के परम क्रमांक 1855 दिनांक को जारी किया गया। आवास के पंजीकरण दिनांक 03.12.2004 को सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. में जारी किये को कि उप पंजीकरण कायदे एवं पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की शाली नगर योजना I-C-1 का आदेश किया गया था जिसका अन्ततः पर क्रमांक 5204 दिनांक 27.06.1983 का संशोधन जारी होने पर अधिनियम का भौतिक कलन दिनांक 05.10.1983 को पूर्ण किया गया।
इसके पश्चात एक आवास पुनू कायदे एवं पंजीकरण अधिनियम पुन की वसु साधन अधिनियम को पुनू अधिनियम पर क्रमांक 4961 दिनांक 02.03.2012 के द्वारा भी जलित कुमरा आवासन पुन की भण्डार प्रसार अधिनियम किया गया।
अन्ततः प्रमाण पर सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. स्वामी के परम क्रमांक 1855 दिनांक को जारी किया गया। आवास के पंजीकरण दिनांक 03.12.2004 को सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. में जारी किये को कि उप पंजीकरण कायदे एवं पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की शाली नगर योजना I-C-1 का आदेश किया गया था जिसका अन्ततः पर क्रमांक 5204 दिनांक 27.06.1983 का संशोधन जारी होने पर अधिनियम का भौतिक कलन दिनांक 05.10.1983 को पूर्ण किया गया।
इसके पश्चात एक आवास पुनू कायदे एवं पंजीकरण अधिनियम पुन की वसु साधन अधिनियम को पुनू अधिनियम पर क्रमांक 4961 दिनांक 02.03.2012 के द्वारा भी जलित कुमरा आवासन पुन की भण्डार प्रसार अधिनियम किया गया।
अन्ततः प्रमाण पर सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. स्वामी के परम क्रमांक 1855 दिनांक को जारी किया गया। आवास के पंजीकरण दिनांक 03.12.2004 को सुभी के सरकारी पुन की पुन. के. में जारी किये को कि उप पंजीकरण कायदे एवं पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की शाली नगर योजना I-C-1 का आदेश किया गया था जिसका अन्ततः पर क्रमांक 5204 दिनांक 27.06.1983 का संशोधन जारी होने पर अधिनियम का भौतिक कलन दिनांक 05.10.1983 को पूर्ण किया गया।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समि
विशिष्ट श्रेणी (अनाज), बीकानेर
श्रीगंगा नगर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर
कार्यालय दूरभाष: 0151-2226961, 62
Email-kumsgrainbkn@gmail.com
क्रमांक: 2209-14 दिनांक: 07/08

निविदा सूचना
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), बीकानेर प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरटर कुल 4 संविदा पर ; रजिस्टर्ड प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में बंद लिफाफे में निविदाएं दिनांक 24.08.2018 1:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।
UBN No: DAM1819SSOB00331

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), बीकानेर या लोक पोर्टल वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है/ डाउनलोड की जा सकती है।

कृषि उपज मण्डी (अनाज) 1